संचालनालय
महिला एवं बाल विकास, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–01, द्वितीय तल, नया रायपुर,
दूरभाष कमांक 0771–2234192, 2234188 (Fax), E-Mail : dirwcd.cg@nic.in

(आईसीपीएस प्रकोष्ठ)

किशोर न्याय अधिनियम 2000 यथासंशोधित 2006 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2007 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समितियों के लिए पात्र आवेदकों से प्राप्त आवेदन अनुसार सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन कर समिति का गठन किया जाना है । इस हेतु निर्धारित अर्हताओं/अनर्हताओं के प्रकाश में पात्र आवेदकों से **दिनांक 9 अक्टूबर 2015** तक आवेदन आमंत्रित हैं ।

1. किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में भरे जाने वाले पदों का विवरण –

क.	पदनाम	रिक्त संख्या		मानदेय
1	**किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक सदस्य/कार्यकर्ता –**	जिले का नाम	सामाजिक सदस्य	**1000/– प्रति बैठक के मान से**
		बिलासपुर	रिक्त–2 (एक महिला)	
		दुर्ग	रिक्त–2 (एक महिला)	
		रायगढ़	रिक्त–2 (एक महिला)	
		धमतरी	रिक्त–2 (एक महिला)	
		कवर्धा	रिक्त–2 (एक महिला)	
		दंतेवाड़ा	रिक्त–2 (एक महिला)	
		बस्तर	रिक्त–2 (एक महिला)	
		कोरबा	रिक्त–2 (एक महिला)	
		कोरिया	रिक्त–2 (एक महिला)	
		जांजगीर चांपा	रिक्त–2 (एक महिला)	
		जशपुर	रिक्त–2 (एक महिला)	
		राजनांदगांव	रिक्त–2 (एक महिला)	
		सरगुजा	रिक्त–2 (एक महिला)	
		महासमुंद	रिक्त–2 (एक महिला)	
		कांकेर	रिक्त–1	
		बलौदाबाजार	रिक्त–1 (महिला)	
		मुंगेली	रिक्त–1 (महिला)	
		गरियाबंद	रिक्त–1 (महिला)	
		बालोद	रिक्त–1	
		बलरामपुर	रिक्त–2 (एक महिला)	
		नारायणपुर	रिक्त–2 (महिला)	
		बीजापुर	रिक्त–2 (एक महिला)	
		सुकमा	रिक्त–2 (एक महिला)	
		कोण्डागांव	रिक्त–2 (एक महिला)	

2	बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष / सभापति तथा सदस्य	जिले का नाम	अध्यक्ष	सदस्य	1000 / – प्रति बैठक के मान से
		रायपुर	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		बिलासपुर	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		दुर्ग	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		रायगढ़	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		धमतरी	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		कवर्धा	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		दंतेवाड़ा	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		बस्तर	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		कोरबा	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		कोरिया	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		कांकेर	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		जांजगीर चांपा	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		जशपुर	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		सूरजपुर	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		राजनांदगांव	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		सरगुजा	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		महासमुंद	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		बालोद	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		बलौदाबाजार	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		मुंगेली	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		गरियाबंद	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		बलरामपुर	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		बेमेतरा	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		बीजापुर	रिक्त–1	रिक्त–4 (एक महिला)	
		नारायणपुर	–	रिक्त–3	
		सुकमा	–	रिक्त–2	

1. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.cgstate.gov.in एवं **www.cgwcd.gov.in** पर देखी जा सकती है ।
2. आवेदक अपने वर्तमान मूल निवास वाले जिले के लिए आवेदन करें । अन्य जिले के लिए प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । प्रत्येक पद के लिए पृथक्–पृथक् आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
3. **आवेदन प्रेषित करने का पता – संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ 492002।**
4. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे । **आवेदन पत्र पंजीकृत डाक / स्पीडपोस्ट / कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे ।** आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें ।
5. आवेदक का आवेदन दिनांक 9 अक्टूबर 2015 को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।
6. सभी पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा।

वांछित योग्यता ना रखने वाले उम्मीद्वार कृपया आवेदन ना करें ।

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
रायपुर–छत्तीसगढ़

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के लिए अर्हताएं/अनर्हताएं

पदनाम	अर्हताएं	अनर्हताएं
1. किशोर न्याय बोर्ड के लिए सामाजिक सदस्य/कार्यकर्ता –	• सामाजिक कार्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोविज्ञान, बाल विकास अथवा समाज विज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में स्नातकोत्तर । • बाल कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों की योजना, कियान्वयन एवं सम्बन्धित प्रशासकीय कार्य का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव।	• किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी सिद्ध हुआ हो । • कभी भी बाल उत्पीड़न, बाल श्रमिकों के नियोजन या किसी अन्य मानवाधिकार के उल्लंघन व अनैतिक कार्यों में लिप्त पाया गया हो । • किसी अन्य ऐसे व्यवसाय/ उपजीविका से जुड़ा हुआ है जिससे बोर्ड के कार्यों के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे सकता हो । • अधिनियम एवं इसके अंतर्गत निर्धारित पात्रता मापदण्डों को पूरा नहीं करता हो । • दो लगातार अवधि/कार्यकाल के लिए सदस्य रह चुका हो

3. बालक कल्याण समिति सभापति/सदस्य के लिए अर्हताएं/अनर्हताएं

पदनाम	अध्यक्ष/सभापति एवं सदस्य के लिए अर्हताएं	अनर्हताएं
1. बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सभापति तथा सदस्य	• समाज कार्य, मनोविज्ञान, बाल विकास, शिक्षा, कानून, समाजशास्त्र, अपराध विज्ञान, चिकित्सा में स्नातकोत्तर • उपरोक्त विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री धारक आवेदकों की अनुपलब्धता की स्थिति में समाज विज्ञान के किसी विषय में स्नातक डिग्री धारक आवेदक का आवेदन स्वीकार्य होगा । • शिक्षक, चिकित्सक या सामाजिक कार्यकर्ता, जो बाल कल्याण कार्यों से जुड़े रहे हों, भी इस पद हेतु आवेदन कर सकते हैं । बशर्ते कि वे शासकीय सेवक न हो तथा बैठक के लिए पर्याप्त समय दे सकते हों । • बाल कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों की योजना, कियान्वयन एवं सम्बन्धित प्रशासकीय कार्य का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव ।	• किसी भी विधि के अंतर्गत दोषी सिद्ध हुआ हो । • कभी भी बाल उत्पीड़न, बाल श्रमिकों के नियोजन या किसी अन्य मानवाधिकार के उल्लंघन व अनैतिक कार्यों में लिप्त पाया गया हो । • किसी अन्य ऐसे व्यवसाय/उपजीविका से जुड़ा हुआ है जिससे समिति के कार्यों के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे सकता हो अथवा अवांछित लाभ प्राप्त करने की स्थिति में हो जैसे बालगृह या बच्चों से संबंधित अन्य संस्था का संचालन करना • अधिनियम एवं इसके अंतर्गत निर्धारित पात्रता व अनुभव को पूरा नहीं करता हो । • दो लगातार अवधि/कार्यकाल के लिए सदस्य रह चुका हो ।

4. **नियम व शर्तें (किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति दोनों के लिए)**

- आवेदक की उम्र न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए । आयु की गणना 1 सितम्बर 2015 से की जायेगी ।
- नियुक्त अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल (सामान्य स्थितियों में) तीन वर्षों के लिए होगा ।
- सामाजिक कार्यकर्ता जो बोर्ड के सदस्य/सदस्या है, वह बोर्ड की अधिकतम दो लगातार अवधि/कार्यकाल के लिए पात्र होंगे ।
- राज्य सरकार के जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा कार्य मूल्यांकन के आधार पर एवं इस उद्देश्य हेतु गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर बोर्ड/समिति के किसी भी सदस्य की कार्यावधि विस्तारित की जा सकेगी ।
- किशोर न्याय बोर्ड अथवा बालक कल्याण समिति का अध्यक्ष/सदस्य एक महीने की लिखित अग्रिम नोटिस देकर किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है अथवा किशोर न्याय (बालक देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 यथासंशोधित 2006 की धारा 4 की उपधारा (5) के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड की सदस्यता से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 29 की उपधारा (5) के आधार पर बालक कल्याण समिति के सदस्यों को सदस्यता से हटाया जा सकता है ।
- सप्ताह के सभी कार्य दिवस में अथवा निर्धारित दिवस में आहूत बैठक में कम से कम पांच घण्टे प्रति बैठक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा।
- बोर्ड के चेयरपर्सन एवं सदस्यों की वर्ष में कम से कम तीन चौथाई उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
- प्रत्येक बैठक के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रूपये 1000/– मानदेय प्रत्येक सदस्य को देय होगा ।
- अध्यक्ष/सदस्य की नियुक्ति, राज्य सरकार द्वारा की गई जांच में दोषी पाए जाने के बाद समाप्त की जा सकती है ।
- अगर वह इस अधिकार के तहत् दी गयी शक्ति का दुरूपयोग करते हुए पाया जाता है अथवा किसी भी कानून अंतर्गत दोषी पाये जाये जाने की दशा में बोर्ड/समिति से अनिवार्यतः हटा दिया जायेगा ।
- वह ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो जो नैतिक अधमता (पतन) से जुड़ा हुआ हो ।
- जो लगातार तीन महीने तक बिना किसी मान्य (समुचित) कारण के बोर्ड की कार्यवाही में भाग लेने में असफल रहा हो, तथा जो एक वर्ष में तीन–चार महीने की बैठकों में भाग लेने में विफल रहा हो ।

5. कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह किया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
6. कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक संतान है जिसमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, वह अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । साथ ही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में नियुक्ति के लिए निर्धारित अनर्हताएं भी लागू होगी । परन्तु कोई भी उम्मीद्वार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, अध्यक्ष/सदस्य पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा ।
7. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है । सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे ।

शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य की जायेगी ।

9. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे । आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं स्वप्रमाणित/सत्यापित अंकसूची संलग्न होना चाहिए ।

10. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

11. शासकीय/अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं में कार्यरत नियमित कर्मचारी आवेदन हेतु अपात्र होंगे परन्तु ऐसे शिक्षक, चिकित्सक, अधिवक्ता अथवा सामाजिक कार्यकर्ता आवेदन कर सकते हैं, जो बैठकों के लिए पर्याप्त समय दे सकते हों ।

12. निर्धारित संख्या के अतिरिक्त प्रत्येक जिले के लिए प्रतीक्षा सूची का पैनल बनाया जायेगा । समिति के निर्धारित काल अवधि में रिक्तियों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से की जायेगी ।

13. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीद्वारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे ।

14. आवेदक अपने मूल निवास वाले जिले के लिए आवेदन करें । अन्य जिले के लिए प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । प्रत्येक पद के लिए पृथक्–पृथक् आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

15. **आवेदन प्रेषित करने का पता – संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक 01, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छत्तीसगढ़ 492002।**

16. आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे । **आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीडपोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे ।** आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें ।

17. आवेदक का आवेदन दिनांक 9 अक्टूबर 2015 को सायं 5.00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए । इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

18. उम्मीद्वारों का चयन शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2007** के नियम 91 के तहत गठित समिति द्वारा किया जायेगा । आवेदक का केवल पात्र होने से वह चयन का अधिकारी नहीं होगा । इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

19 निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/पात्र अनुभवी आवेदक का आवेदन न होने की दशा में चयन समिति निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/अनुभव में छूट प्रदान कर सकेगी तथा चयन की कार्यवाही उपयुक्तता के आधार पर की जायेगी।

20. प्राप्त आवेदनों के संबंध में गठित समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

21. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट www.cg.gov.in पर देखी जा सकती है ।

22. सभी पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा।

उपरोक्त वांछित योग्यता ना रखने वाले उम्मीद्वार कृपया आवेदन ना करें ।

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास विभाग
रायपुर–छत्तीसगढ़

,ध्यक्ष बालक कल्याण समिति/सदस्य बालक कल्याण समिति/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटों सील एवं हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा करें

प्रति,

आयुक्त
संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग
पुराना नर्सेस हॉस्टल, मंत्रालय परिसर
रायपुर–छत्तीसगढ़

1. वांछित सदस्यता/अध्यक्षता – अध्यक्ष बालक कल्याण समिति/सदस्य बालक कल्याण समिति/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड–
   जिला :–
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– .....
   (अंग्रेजी में) :– .....
3. पिता/पति का नाम :– .....
4. स्थायी पता :– .....
   .....
   .....
5. (पत्र व्यवहार का पता) :– .....
   .....
   .....
   .दूरभाष/मोबाईल..... ईमेल – .....
6. जन्मतिथि (अंकों में) :– .....
   (शब्दों में) :– .....
7. दिनांक 01/09/2015 को आयु :– .....
8. लिंग पुरूष/महिला :– .....
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) :– जाति ..... वर्ग .....
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? :– .....
11. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या :–.....
12. आवेदक पूर्व में बालक कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड का सम्मानित अध्यक्ष/सदस्य के रूप में रहा है/रही है तो चिन्हांकित करें :–
    - अध्यक्ष बालक कल्याण समिति ☐
    - सदस्य किशोर न्याय बोर्ड ☐
    - सदस्य बालक कल्याण समिति ☐
13. आवेदक का व्यवसाय :– .....

शैक्षणिक योग्यता :– (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड / संस्था का नाम	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

15. अन्य योग्यता / अनुभव विज्ञापन द्वारा चाहे गये अर्हताओं के प्रकाश में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची –

1. जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची / प्रमाण पत्र
2. 12वीं की अंकसूची
3. स्नातक की अंकसूची
4. स्नातकोत्तर की अंकसूची
5 अनुभव प्रमाण पत्र
6. आवेदक पचास रूपये के नॉन जुडिशियल स्टैंम्प पेपर पर विधि विरूद्ध कार्य में संलग्न न रहने तथा किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित न किये जाने का शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करे।
7. आवेदक छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी होने का निवास / मूल प्रमाण पत्र संलग्न करे।
8. यदि आवेदक पूर्व में अध्यक्ष बालक कल्याण समिति / सदस्य कशोर न्याय बोर्ड / सदस्य बालक कल्याण समिति रहा है तो स्थान एवं कार्य अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न करें ।

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1.....

2.....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा–पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो किशोर न्याय बोर्ड / बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष / सदस्य के रूप में की गई नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान – ——————————

दिनांक – ——————————